12/3/22

पत्रा० आवेदिका श्री तहसीलदार-नगर से
विषयों प्राप्त कु. डीसिल्ट मौहल्लिस के निर्माण
के संबंध की पालना कराने हेतु - अपर-पापालय -
वाणिज्य - अपील अधिकारी भरतपुर की
सहायता से समझौता - निर्णय की बाबत जारी किया
कुमारी - अतः पालना नहीं की जा सकती -

अतः प्रकरण को अपर-पापालय -
वाणिज्य अपील अधिकारी के निर्णय - होने तक
पत्रा० की तहसील पर Drop की जाती है तथा
कुमा. मा० RAA के मौखिक - उपरोक्त कथन किये जाने
हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रा० तहसील Drop की जाती है
प्रकरण बोर्ड के समक्ष रखा है।

सदस्य
लोक अदालत
भरतपुर

अध्यक्ष
लोक अदालत
भरतपुर

Scanned with CamScanner